BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

देश के जहाज निर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार

14 अक्टूबर, 2025

मुख्य बातें

- सितंबर 2025 में 69,725 करोड़ रुपये की जहाज निर्माण और समुद्री सुधार योजनाओं की शुरुआत की गई।
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना 24,736 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के माध्यम से वित्तीय सहायता, शिप-ब्रेकिंग क्रेडिट नोट और घरेलू विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान करती है।
- समुद्री विकास कोष 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ निवेश और ब्याज प्रोत्साहन पर केंद्रित है।
- जहाज निर्माण विकास योजना 19,989 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जहाज निर्माण समूहों के लिए पूंजीगत सहायता, जोखिम कवरेज और क्षमता निर्माण प्रदान करती है।
- घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े जहाजों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया।

प्रस्तावना

परंपरा से प्रेरित और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित, भारत का जहाज निर्माण परिदृश्य वैश्विक मान्यता के लिए तैयार है। भारत के समुद्री क्षेत्र ने ऐतिहासिक रूप से उपमहाद्वीप को वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया है। समुद्री यात्रा और वाणिज्य ने सदियों से इसकी आर्थिक नींव को आकार दिया है। भारत की जहाज निर्माण परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। *लोथल* (वर्तमान गुजरात में) जैसे स्थलों से पुरातात्विक साक्ष्य डॉकयार्ड और समुद्री व्यापार के अस्तित्व का संकेत देते हैं। लोथल की गोदी को दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात ज्वारीय बंदरगाहों में से एक माना जाता है।

जहाज निर्माण को अक्सर **"भारी इंजीनियरिंग की जननी"** कहा जाता है। यह रोजगार पैदा करने, निवेश को आकर्षित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र मजबूत आर्थिक प्रभाव पैदा करता है। इसमें किया गया प्रत्येक

निवेश नौकरियों को 6.4 गुना बढ़ाता है और पूंजी का 1.8 गुना रिटर्न देता है। यह क्षेत्र वृद्धि और विकास को बढाने की अपनी शक्ति दिखाता है। यह उद्योग दूरस्थ, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख चालक के रूप में इस क्षेत्र के विकास और संवर्धन को प्राथमिकता दी जा रही है।

पोत निर्माण क्षेत्र की वृद्धि और विकास

स्वतंत्रता के बाद, जहाज निर्माण बड़े पैमाने पर मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (मुंबई), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (कोलकाता) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (विशाखापत्तनम) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में केंद्रित था। पिछले एक दशक में, इस क्षेत्र में निजी जहाज कंपनियों के प्रवेश के साथ, भारत के शिपिंग और समुद्री क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। इसमें क्रूज पर्यटन, अंतर्देशीय जल परिवहन और बंदरगाह बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रणनीतिक निवेश, नीतिगत सुधारों और विस्तारित जलमार्गों ने सामूहिक रूप से कार्गो आवाजाही और तटीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है।

DEVELOPMENT OF SHIPPING AND MARITIME SECTOR IN 11 YEARS

PARAMETER	2014	2025	% GROWTH
Cruise Passengers	84,000	4.92 lakhs	485%
Inland water cargo	18 MMT	146 MMT	700%
Operational waterways	3	29	870%
Investment in National waterways	Rs. 183 Cr	1,700 Cr	800%
Number of Seafareres	1.08 lakhs	3.2 lakhs	200%
Annual financial performance of ports	Rs. 11,172 Cr	Rs. 24,202 Cr	120%
No of new legislations	1 in 10 years	11 in 11 Years	

Source: **Ministry of Ports, Shipping and Waterways**

रोजगार के अवसर इस क्षेत्र को आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करते हैं। नवंबर 2024 तक, भारत के पास 1,552 भारतीय-ध्वजांकित जहाजों का बेड़ा है। यह कुल 13.65 मिलियन सकल टन भार (जीटी) का है।

प्रमुख सरकारी नीतियां और पहल
❖ **जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी):** हरित ईंधन या हाइब्रिड प्रणोदन प्रणालियों का उपयोग करने वाले जहाजों के लिए 20-30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

❖ **पहले इनकार का अधिकार (आरओएफआर):** भारतीय शिपयार्डों को पोत अधिग्रहण के लिए सरकारी निविदाओं में प्राथमिकता मिलती है। संशोधित पदानुक्रम भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वज वाले और भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों का पक्ष लेता है।
❖ **सार्वजनिक खरीद वरीयता:** मेक इन इंडिया आदेश, 2017 के अनुसार 200 करोड़ रुपये से कम के जहाजों को भारतीय शिपयार्ड से खरीदा जाना चाहिए।
❖ **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी):** कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल टगबोट संचालन को बढ़ावा देता है।
❖ **हरित नौका दिशानिर्देश:** अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
❖ **मानक टग डिजाइन:** एकरूपता सुनिश्चित करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बंदरगाहों द्वारा उपयोग के लिए पांच वेरिएंट जारी किए गए हैं।

➢ **समझौता ज्ञापन और सहयोग:** भारत रणनीतिक साझेदारी, बुनियादी ढांचे के विस्तार और वित्तीय सहयोग के माध्यम से अपनी जहाज निर्माण और समुद्री क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, विदेशी बेड़े पर निर्भरता कम करना और पूरे क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है।

❖ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और तेल पीएसयू ने एक पोत-स्वामित्व वाले संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे विदेशी बेड़े पर निर्भरता कम होने के साथ भारतीय निर्मित जहाजों की मांग बढ़ रही है।

❖ संयुक्त निवेश के साथ जहाज निर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों और तटीय राज्यों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य भारत को 2047 तक शीर्ष पांच वैश्विक जहाज निर्माण देशों में स्थापित करना है। ये हब टिकाऊ समुद्री इंजीनियरिंग के लिए शिपयार्ड, अनुसंधान एवं विकास, एमएसएमई और हरित नवाचार को एकीकृत करेंगे।

❖ कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक ने प्रमुख जहाज निर्माण परिसर स्थापित करने के लिए तमिलनाडु एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 10 लाख जीटी वार्षिक क्षमता और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ 15,000 करोड़ रुपये की सुविधा शामिल है।

- ❖ सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक मजबूत निवेश इकोसिस्टम बनाने के लिए घरेलू पूंजी के साथ वैश्विक जलवायु वित्त के मिश्रण के लिए हरित जहाज निर्माण, बेड़े के उन्नयन और समुद्री रसद के लिए विविध वित्त पोषण को अनलॉक करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- ❖ कोचीन शिपयार्ड और एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग ने भारत में बड़े वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण के लिए भागीदारी की है। यह सीएसएल के नए ड्राई डॉक और कोच्चि में 3,700 करोड़ रुपये की फैब्रिकेशन सुविधा द्वारा समर्थित है। इससे हजारों नौकरियां पैदा होने और एमएसएमई से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जहाज निर्माण क्षेत्र का पुनरोद्धार

जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए सितंबर, 2025 में हाल ही में की गई सरकारी घोषणाओं में घरेलू क्षमता का विस्तार, दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना, निवेश आकर्षित करना और आधुनिक बुनियादी ढांचे और नीतिगत सुधारों के माध्यम से भारत के रणनीतिक और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करना है।

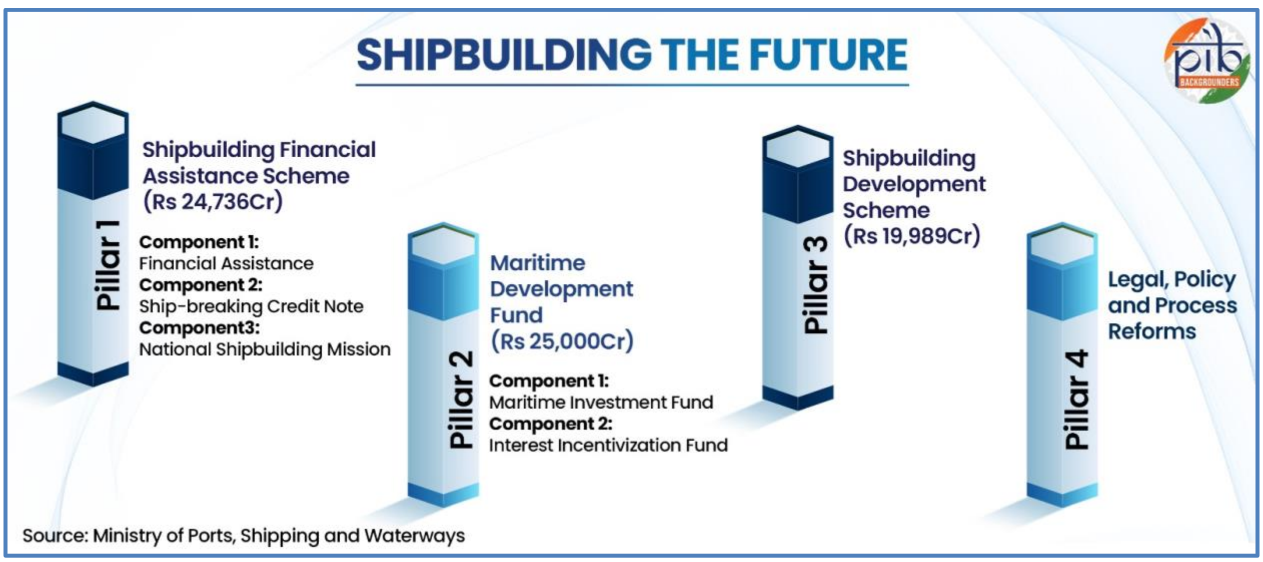

- ➢ **स्तंभ 1: जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना -** इस योजना को एक मूलभूत स्तंभ के रूप में भी देखा जाता है। इसका उद्देश्य भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं और समुद्री नवाचार को एक साथ लाना है। यह 24,736 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घरेलू जहाज निर्माण क्षमताओं और समुद्री नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए एक मूलभूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह भारत के जहाज निर्माण इको-

सिस्टम को मजबूत करने के लिए लक्षित प्रोत्साहनों, रणनीतिक मिशनों और जीवनचक्र समर्थन को एकीकृत करता है।

घटक 1: वित्तीय सहायता
❖ **उद्देश्य:** लागत के नुकसान को पाटने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
❖ **प्रोत्साहन संरचना:** ✓ 100 करोड़ रुपये से कम मूल्य के जहाजों के लिए 15 प्रतिशत सहायता। ✓ 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जहाजों के लिए 20 प्रतिशत सहायता। ✓ ग्रीन, हाइब्रिड या विशेष जहाजों के लिए 25 प्रतिशत सहायता।
❖ **घरेलू मूल्यवर्धन:** स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हुए प्रोत्साहनों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होती है।
❖ **वित्तीय आवंटन:** 20,554 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय स्वीकृत, मार्च 2036 तक वैध।
घटक 2: शिप-ब्रेकिंग क्रेडिट नोट
❖ **प्रोत्साहन मूल्य:** पोत के स्क्रैप मूल्य के 40 प्रतिशत मूल्य का क्रेडिट नोट, भारतीय **शिपयार्ड** में स्क्रैप किए जाने पर लागू होता है।
❖ **उपयोग:** एक भारतीय शिपयार्ड में एक नए जहाज के निर्माण की लागत के हिसाब से भुनाया जा सकता है।
❖ **लचीलापन**: **नोट्स** स्टैक करने योग्य**,** हस्तांतरणीय और 3 साल के लिए वैध हैं।
❖ **बजट आवंटन:** योजना के लिए कुल परिव्यय 4,001 करोड़ रुपए।
घटक 3: राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन
❖ **मिशन नेतृत्व**: सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय जहाज निर्माण पहल का संचालन और देखरेख करना।
❖ **फंड प्रबंधन**: आवेदनों का मूल्यांकन करें, दावों को सत्यापित करें और समय पर फंड वितरण सुनिश्चित करें।
❖ **खरीद समन्वय**: कुल मांग और संरचित, केंद्रीकृत खरीद प्रक्रियाओं को सक्षम करना।

❖ **वैश्विक साझेदारी**: घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विदेशी सहयोग की पहचान करना और उसे सुविधाजनक बनाना।
❖ **योजना अवधि**: 10 वर्ष की अवधि, योजना अवधि से परे प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ सम्मानित किया जाता है।

➢ **स्तंभ 2: समुद्री विकास कोष (**25,000 करोड़ रुपए) **-** समुद्री विकास कोष का उद्देश्य भारत के ईएक्सआईएम व्यापार की रीढ़ को मजबूत करना है। यह मात्रा के हिसाब से 95 प्रतिशत व्यापार और मूल्य के हिसाब से 65 प्रतिशत को संभालने वाले समुद्री परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अपने रणनीतिक महत्व के बावजूद, इस क्षेत्र को किफायती वित्त तक पहुंचने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

घटक 1: समुद्री निवेश कोष
❖ **फंड कॉर्पस:** 20,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन.
❖ **वित्त पोषण और निवेशक**: अतिरिक्त निवेशक योगदान के साथ इक्विटी-आधारित वित्तपोषण समुद्री निवेश कोष की पूंजी संरचना को मजबूत करेगा।
❖ **रणनीतिक फोकस क्षेत्र:** ✓ भारतीय शिपिंग क्षमता (टन भार) का विस्तार। ✓ शिपयार्ड, जहाज मरम्मत सुविधाओं और सहायक उद्योगों का विकास। ✓ बंदरगाह और संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ✓ मॉडल शेयर में सुधार के लिए अंतर्देशीय और तटीय जल परिवहन को बढ़ावा देना।
❖ **वित्तीय संरचना**: सार्वजनिक वित्त पोषण के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने के लिए एक मिश्रित वित्त मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। ✓ रियायती दर पर सरकार से 49 प्रतिशत पूंजी। ✓ 51 प्रतिशत वाणिज्यिक पूंजी बहुपक्षीय ऋणदाताओं, बंदरगाह प्राधिकरणों के साथ-साथ सॉवरेन फंड से प्राप्त की जाती है।

घटक 2: ब्याज प्रोत्साहन कोष
❖ **फंड कॉर्पस**: इस पहल के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित
❖ **योजना की अवधि**: 10 वर्ष, मार्च 2036 तक वैध
❖ **प्रोत्साहन संरचना**: ✓ 3 प्रतिशत तक का ब्याज प्रोत्साहन ✓ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पेशकश की ✓ भारतीय शिपयार्डों को दिए गए ऋण पर लागू
❖ **कार्यान्वयन**: नामित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से समन्वित किया जाना है ।

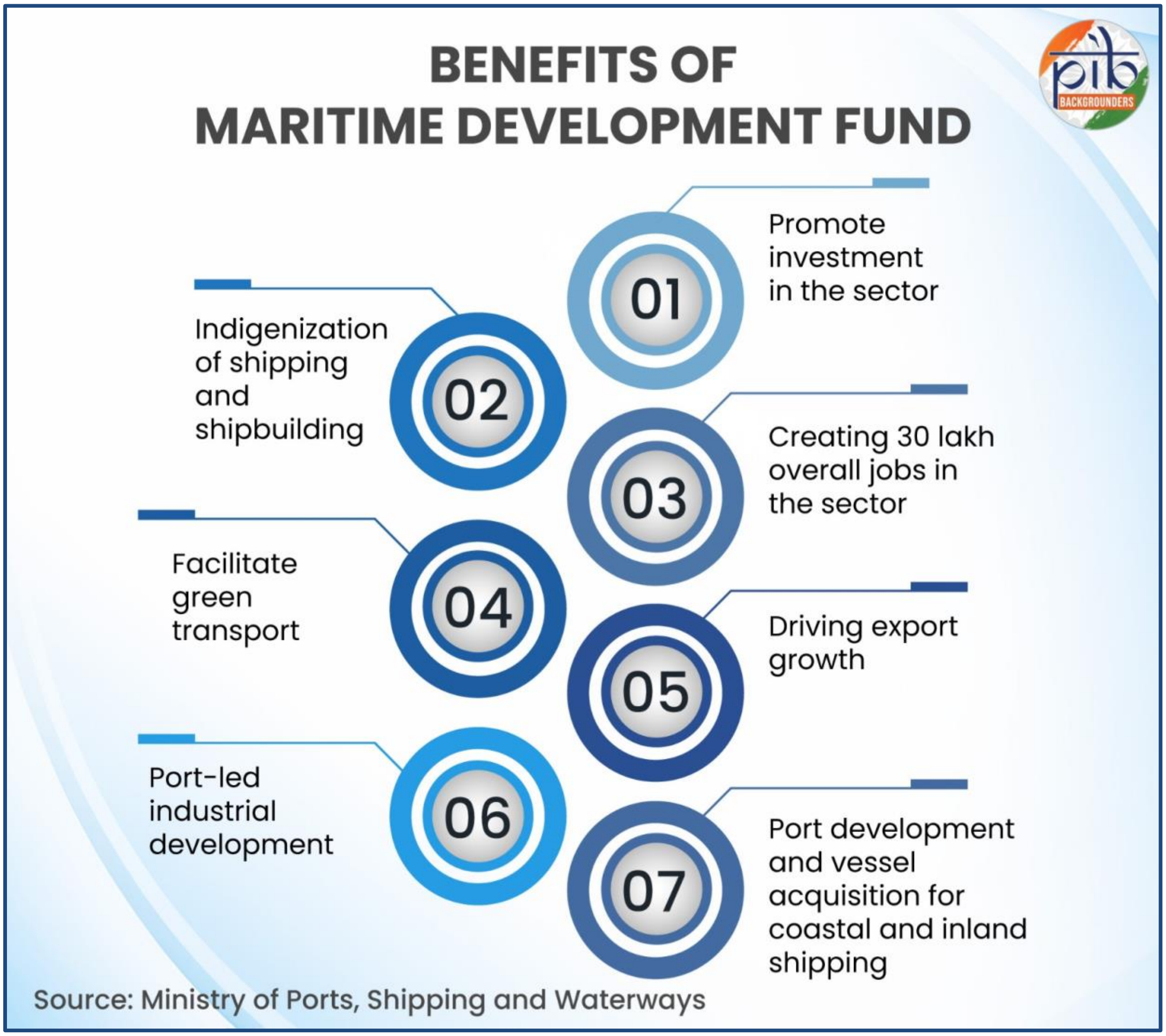

- **स्तंभ 3: जहाज निर्माण विकास योजना (**19,989 करोड़ रुपए) - बेहतर बुनियादी ढांचे, सुरक्षा उपायों और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक समर्थन की योजना बनाई गई है।

जहाज निर्माण विकास योजना
❖ **जहाज निर्माण समूहों के लिए पूंजी सहायता**: ✓ ग्रीनफील्ड क्लस्टर: 9,930 करोड़ रुपए ✓ ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार: 8,261 करोड़ रुपए
❖ **जहाज निर्माण जोखिम कवरेज**: 1,443 करोड़ रुपए
❖ **क्षमता विकास पहल:** 305 करोड़ रुपए
❖ **कुल कॉर्पस**: 19,989 करोड़ रुपए
❖ **अवधि**: 10 वर्ष (मार्च 2036 तक)

- **स्तंभ 4: कानूनी, नीति और प्रक्रिया सुधार -** कानूनी, नीतिगत और प्रक्रिया सुधारों के हिस्से के रूप में, बड़े जहाजों को किफायती वित्तपोषण तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है, जबकि मांग एकत्रीकरण के माध्यम से घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास चल रहे हैं। समुद्री कानूनों को आधुनिक बनाने और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए विधायी अद्यतनों की एक श्रृंखला भी पेश की गई है।

कानूनी, नीति और प्रक्रिया सुधार
❖ दीर्घकालिक, कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए 19 सितंबर 2025 को बड़े जहाजों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया।
❖ तेल और गैस पीएसयू के माध्यम से मांग एकत्रीकरण का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत में 110 से अधिक जहाजों का निर्माण करना है।
❖ **कानूनी सुधार शुरू किए गए**

- ✓ लदान विधेयक अधिनियम, 2025
- ✓ समुद्री मार्ग से माल की ढुलाई अधिनियम, 2025
- ✓ तटीय नौवहन अधिनियम, 2025
- ✓ मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025
- ✓ भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025

- **सुधार के प्रभाव -** सुधारों का उद्देश्य भारत के शिपिंग और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना, जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता में पर्याप्त रोजगार, निवेश और विस्तार करना है। वे पोत की संख्या और बंदरगाह थ्रूपुट में महत्वपूर्ण वृद्धि का भी वादा करते हैं। इससे क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी।

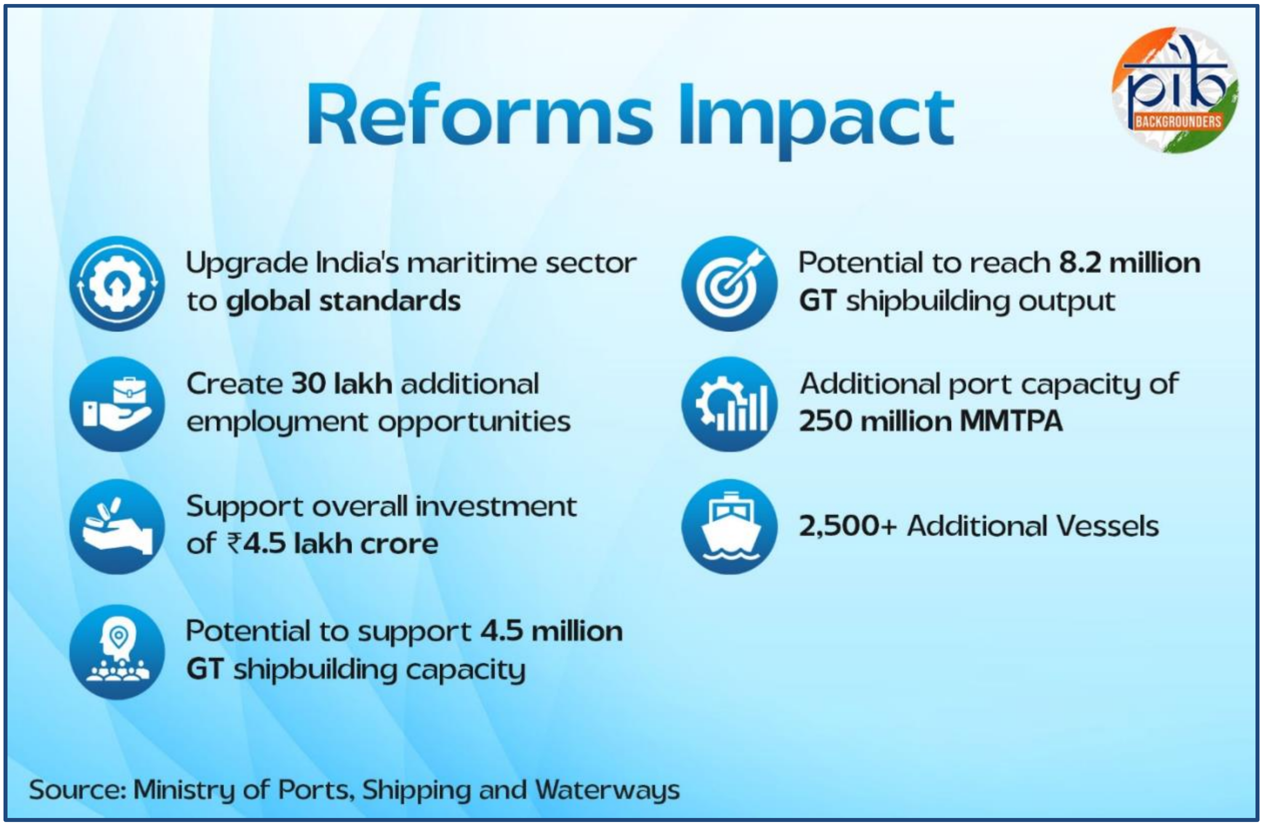

निष्कर्ष

भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र विकास के एक आशाजनक चरण में प्रवेश कर रहा है। यह प्रगतिशील पहलों और नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है। इन उपायों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है।

इससे दीर्घकालिक विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी जा सकेगी। नवाचार, स्थिरता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह क्षेत्र मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में निर्धारित रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा, इसका विस्तार विकसित भारत 2047 की व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ सहजता से संरेखित होता है, जो आर्थिक लचीलापन, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योगदान देता है। उद्योग और सरकार के बीच निरंतर सहयोग के साथ, भारत का जहाज निर्माण उद्योग देश की समुद्री ताकत का एक प्रमुख स्तंभ और समावेशी विकास का चालक बनने के लिए तैयार है।

संदर्भ:

पत्र सूचना ब्यूरो:

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2035583
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168994
https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2085228
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110319
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2172488
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170575

पीके/केसी/केके/एसके